



सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक एफ 701()पंरावि/प्रशा.2/सहा.अभि./एपीओ/म.बां./18/1)00

जयपुर दिनांक- 7.3.18

-: आदेश :-

श्री महावीर बांगडा, सहायक अभियन्ता (मनरेगा), पंचायत समिति, मकराना (नागौर) को तत्काल प्रभाव से आदेशों की प्रतीक्षा में किया जाकर मुख्यालय पंचायती राज विभाग किया जाता है ।

श्री बांगडा, सहायक अभियन्ता तत्काल कार्यमुक्त होकर अपनी उपस्थिति पंचायती राज मुख्यालय पर दें ।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(राजेन्द्र शेखर मक्कड)

अतिरिक्त आयुक्त एवं

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, ग्रा. वि. एवं पंचायती राज विभाग को उनकी अ.शा. टीप क्रमांक 1243 दिनांक 5.3.18 के संदर्भ में ।
2. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग ।
3. जिला कलेक्टर, नागौर ।
4. अति./मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, नागौर ।
5. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, मकराना (नागौर) ।
6. ए.सी.पी. मुख्यालय को आदेश विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।
7. श्री महावीर बांगडा, सहायक अभियन्ता (मनरेगा), पंचायत समिति, मकराना (नागौर) ।
8. निजी / आरक्षी पत्रावली ।

अतिरिक्त आयुक्त एवं

संयुक्त शासन सचिव